राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

दिनांक 19-1-17

क्रमांक : परि/नियम/2017/मु./ 27736

समस्त
जिला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
.... ।

विषय :–केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.12.2016 द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 32 एवं 81 का संशोधन एवं उसका स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दिनांक 29.12.2016 को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 32 एवं 81 के तहत देय फीस की राशियों को संशोधित किया गया है। उक्त अधिसूचना प्रकाशन की तिथि 29.12.2016 से प्रभावी हो चुकी है। अतः संशोधित देय राशि भी दिनांक 29.12.2016 से ही वसूली जानी है, एवं दिनांक 28.12.2016 तक पुरानी दर से (राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 4.18 में यथावर्णित दर से शास्ती) फीस/शास्ती/पेनल्टी वसूली जानी है। विलम्ब पर देय शास्ती/अतिरिक्त फीस भी नई दर से दिनांक 29.12.2016 से ही देय होगी।

अगर हाईपोथिकेशन लगातार पूर्ववती वित्तीय पोषक द्वारा लगातार जारी रखने की मंशा लिखित में वर्णित की जाती है तो इस हेतु कोई फीस देय नहीं होगी।

15/1/2017
(हंस कुमार शर्मा)
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (नियम)